फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

मदनलाल वगै0 बनाम सीताराम वगै0

मुकदमा नं0 :–60 / 2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24.05.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण अनु0। अप्रार्थीगणों को बार– बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने पत्रांक / एल. आर. / 24 / 2298 दिनांक 22.05.24 द्वारा रिपोर्ट पेंश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी है तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम हरिपुरा ब्राहमणान, पटवार हल्का गठवाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 190 रकबा 2.1900है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	